



पणजी गोवा पुलिस ने गुरुवार को कस्थानीय अदालत में तरुण तेजपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की

पुलिस को होटल से कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं जिससे पीता के आरोपों की पुष्टि होती प्रतीत होती है। फुटेज में तेजपाल पीता को लफ्ट में अंदर खींचते दिखाई दे रहे हैं। तेजपाल पर अपनी कमहिला सहकर्मी पत्रकार केयौन उत्पी न क आरोप है।

इससे पहले तेजपाल गोवा पुलिस की तरफसे तय की गई समय सीमा अपराहन तीन बजे तक उसके समक्ष पेश नहीं हुआ। जांच अधिकारी (आइओ) के समक्ष गुरुवार को अपराहन तीन बजे तक पेश होने की समय सीमा बाने की अपील टुक्रा जाने के बाद तेजपाल ने गोवा पुलिस से अब कहा है कि वे शुक्रवार को उसके समक्ष पेश होंगे। यह जानकारी उनके वकील संदीप कपूर ने दल्लिी में दी।

पहले की खबरों में बताया गया था कि तेजपाल गुरुवार तीन बजे तक पेश हो जाँगे लेकिन बाद में उनकी रणनीति बदल गई और उन्होंने समय बाने की मांग की। दल्लिी हाई कोर्ट में अग्रिमि जमानत की याचकि को उन्होंने यह कहकर वापस ले लिया कि उपयुक्त नविरण केली वे उपयुक्त अदालत में जाँगे।

गोवा पुलिस के समक्ष उपस्थति होने की समय सीमा खत्म होने के बाद डीआइजी ओपी मशि्रा ने कहा कि अपराध की गंभीरता और कनून के मुताबकि मामले में आगे बाने को ध्यान में रखते हुए जांच अधिकारी ने समय बाने की उनकी अपील खारजि कर दी। यह पूछने पर कि पुलिस के समक्ष गैर जमानती वारंट क वक्लिप है तो उन्होंने कहा कि ये तार्किक कदम है जिन्हें हमें अपनाणे की जरूरत है। मैं आपके जांच के हरेक कदम के बारे में नहीं बता सकता।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि अपराध शाखा ने प्रथम श्रेणी के न्यायकि मजसि्ट्रेट की अदालत में गैर जमानती वारंट जारी करने की अरजी दी है। इसके बाद तेजपाल की गरिप्तारी हो सकती है। तेजपाल के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की समय सीमा बीतने के दो घंटे बाद गोवा पुलिस क यह बयान आया। उन्होंने पेशी केली शनविर तक क वक्त मांगा था।

गरिप्तारी के बारे में पूछे जाने पर मशि्रा ने कहा कि इसमें संदेह नहीं होना चाहती। कि यह दूसरा तार्किक कदम है। तेजपाल को तीन बजे तक जांच अधिकारी के

समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था और परिवार ने उसे स्वीकार किया था। लेकिन दोपहर 12 बजे तेजपाल के कवकील ने पुलिस की अपराध शाखा को चिट्ठी सौंपकर शनिवार को पेश होने का वक्त मांगा। वकील ने कहा कि तेजपाल गोवा में नहीं हैं। मशिरा ने कहा कि पुलिस ने तेजपाल को गुरुवार तीन बजे तक पेश होने की समय सीमा तय करते समय दिल्ली से पणजी तक की यात्रा के ध्यान में रखा गया था। अपराध की गंभीरता के ध्यान में रखते हुए जांच अधिकारी ने उन्हें और समय देने से इनकार कर दिया।

उधर, गोवा के जसि होटल में यौन उत्पीड़न की यह घटना हुई, वहां के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही टीम में शामिल कवरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि लफिट के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज से पीड़िता के बयान की पुष्टि होती है। इस फुटेज से तेजपाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पीड़िता ने बुधवार को यहां कमजस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया था।

अधिकारी ने कहा कि होटल के ब्लॉक 7 की लफिट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की सात नवंबर की फुटेज में यह साफ है कि लफिट में कुछ गलत हुआ था। उन्होंने कहा कि फुटेज में शुरुआत में दिखाई देता है कि तेजपाल और पीड़िता हॉलीवुड अभिनेता रोबर्ट डी नीरो के उनके कमरे तक छोड़े जाते हैं। तेजपाल रात के लगभग नौ बजे लफिट में युवा पत्रकार के साथ प्रवेश करते दिखाई देते हैं और इस दौरान उनके हाथ महिला के कंधे पर हैं।

अधिकारी ने कहा कि डेढ़ घंटे बाद रात करीब साढ़े 10 बजे तेजपाल भूतल पर उसी लफिट के पास महिला के अंदर खींचते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में लफिट लगभग दो मिनट बाद दूसरी मंजिल पर खुलती दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि महिला अपने कमरे की ठीक करते हुए लफिट से बाहर आती और सीढ़ियों से नीचे उतरती नजर आ रही है और तेजपाल पीड़िता को पीछा करते दिखाई देते हैं।

महिला पत्रकार ने तेजपाल पर आरोप लगाया है कि उसने तहलक की ओर से आयोजित 'थक्किनेस्ट' के दौरान सात और आठ नवंबर को उसका उत्पीड़न किया था। इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए गोवा पुलिस ने तेजपाल के खिलाफ बलात्कार और शील भंग करने का मामला दर्ज किया है।

(भाषा)